उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AE 820584

सं० 7798/22

प्रथम जिल्द
परिशिष्ट जिल्द

उप निबन्धक

क्रम संख्या ......620...... 16/8/22

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता आशीष मिश्रा/एड.

....

स्टाम्प की धनराशि ....10/-....

[illegible] गजन द्विवेदी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स नम्बर 157

[illegible] अवधि 31-3-2024

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

विक्रय मूल्य - 22,000=00 रूपया

मालियत - 73,500=00 रूपया

स्टाम्प - 7400=00 रूपया

राजस्व परगना- बिजनौर ।

:: बैनामा ::

मायाँकि संजय, जय सिंह व रिंकू पुत्रगण स्व० गंगादीन व श्रीमती लीलावती पत्नी स्व० गंगादीन निवासीगण- ग्राम महमूदपुर, मजरा मुजफ्फरनगर फुसवल, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ (विक्रेता) के हैं :-

--2पर

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक (पंचम)
लखनऊ

2625 13/12/2002
क्रम सं० .... दिनांक ....
मूल्य ...... / ...... 2 ......
पता ......
द्वारा ......

ए० एच० आगा स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्रेट कार्ड ......
लं० नं० 22

9. स्टाम्प देवेन्द्र सिंह।

मैं एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि
यह फोटोकापी मूल प्रति की सत्य
एवं यथार्थ प्रतिलिपि है।
दिनांक ह०

22000
73500
1480/100 = 1536

निशानी अंगूठा

लीलावती पत्नी स्व. गंगादीन

साक्षी महमूद

लीलावती

22000/-
लीलावती

स्व. गंगादीन

जो कि हम कृषि भूमि खसरा संख्या- 30सं0 रकबा 0.023हे0 व 30सं0 रकबा 0.155 कुल दो किता कुल रकबा 0.178हे0 स्थित ग्राम देवामऊ,परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ के मालिक,काबिल व काबिज हैं । उपरोक्त आराजी हर प्रकार के रेहन बय,हिबा,जमानत,कुर्की,मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है,जिसको विक्रय करने का हमें मालिकाना व कानूनी हक हासिल है अब बजरूरत खुद हम अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जोर या दबाव नाजायज के अपने -अपने दुरूस्त होश-हवास में अपनी उपरोक्त आराजीखसरा सं0-30सं0 रकबा 0.023हे0 व 30सं0 रकबा 0.155हे0 कुल रकबा 0.178हे0 के 1/2 भाग ।। आधा भाग ।। यानी रकबा 0.089 हेक्टेयर जिसकी चौहद्दी अन्त में दी जा रही है को

--ऊपर

26216 दि० 13/12/2000
मूल्य 1000/- नाम राजा लाल पुत्र स्व० तिलकराम सैनी
पता
द्वारा

एस० एच० आगा स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कोर्ट देहरादून
लं० नं० 22

रमेश चन्द पुत्र गौतम Adv.
एडवोकेट लो
लाल बहादुर पुत्र राम लाल
लखिया पुरखा पुत्र हनमन्त सैनी

13/12/2000

शीलावती (2) संजय (3) किशन सिंह

लाल बहादुर

379/2000
13.12.2000

13/12/2000

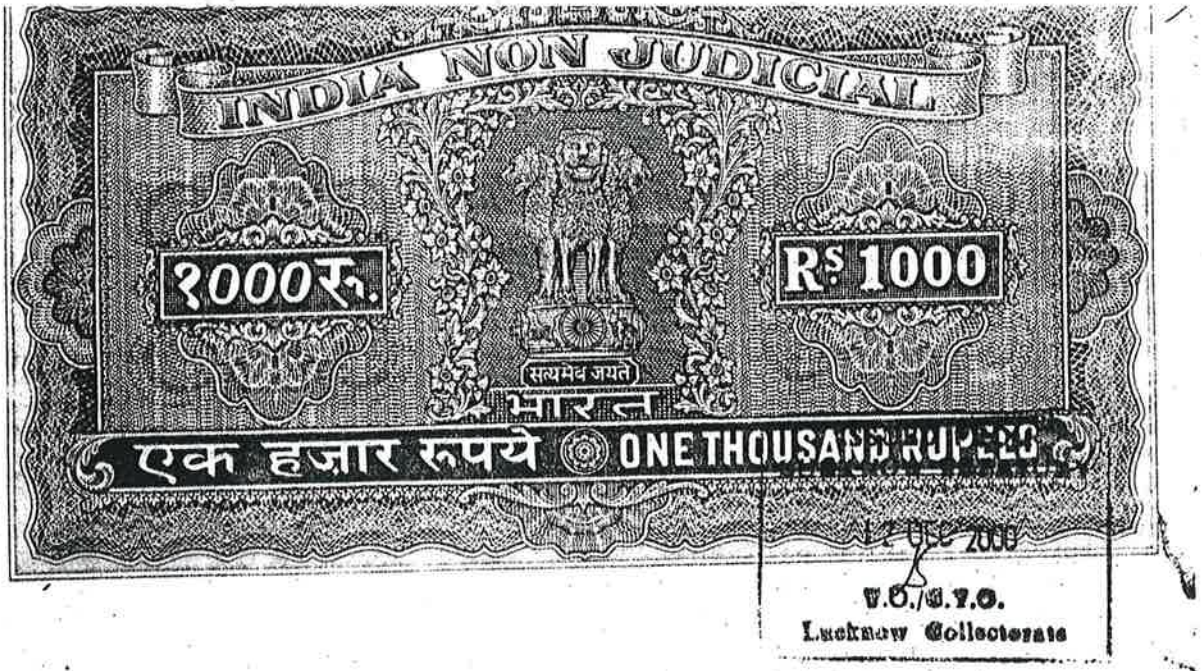

बिला छोड़े किसी चीज हक कुल या जुज के जो कुछ भी हमें उक्त विक्रय-

शुदा जायदाद में प्राप्त हैं,उन सबके बकीमत मुबलिग- 22,000=00रुपया

{रु० बाईस हजार} कि निस्फ, जिसके मु०- 11,000=00रुपया होते हैं

मैं बदस्त श्री रामफल पुत्र स्व० देवतादीन निवासी-ग्राम नया पुरवा,

मजरा निजामपुर मझगवां,परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ{क्रेता}

-4पर

38

क्र० सं० ...... दि० 13/12/2000
नाम/पता ...... श्याम [illegible]
पता ......
द्वारा ......

ए० के० एम० आशा स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट ...
लं० नं० 22

श्री रिंकू पुत्र स्व० गंगा दीन पेशा खेती निवासी
ग्राम [illegible] पो० [illegible] मुजफ्फरनगर
[illegible] थाना [illegible]
के [illegible] दिनांक 10 अप्रैल 2001 को [illegible]
1991 सन के दिन को [illegible]
में [illegible] होकर [illegible] के विरुद्ध
[illegible] की [illegible]
तथा [illegible] 22000
की [illegible] को [illegible]
[illegible] निवासी [illegible] उनकी माता [illegible]
पत्नी स्व० गंगा दीन की [illegible]
पुत्र स्व० गंगा दीन [illegible] थी।

रिंकू [illegible] [illegible]

[illegible]
08/02/2001

[illegible]

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.　　Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये　ONE THOUSAND RUPEES

के हाथ मुबलिग- 22,000=00रूपया में बय फरोख्त कतई किया यानी बेच

दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता मजकूर से वसूल पाकर कब्जा

व दखल मालिकाना विक्रयशुदा जायदाद पर बजाय कब्जा खुद के क्रेता

मजकूर का बखूबी अपने समान करा दिया अब हमारा या हमारे वारिसान

या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रयशुदा जायदाद या उसके

किसी अंश कुल या जुज में शेष नहीं रहा अगर कोई शख्स निस्बत

--5पर

क्रम सं० 26218 दिनांक 13/12/2000

मूल्य 1000 नाम

पता

द्वारा

एस० एस० आभा स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

ला० नं० 22

जायदाद मुबइया या जरसमन के क्रेता मजकूर से हक जताये या दावा करे तो

उसका हक व दावा बरूए तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होगा

और अगर किसी शख्स की हकदारी या उज्रदारी या दावेदारी से विक्रय-

शुदा जायदाद कुल या जुज कब्जे क्रेता से निकल जावें या कब्जा न मिले

या मिलकियत या हकीयत मेरी/हमारी करार ना पाई जाये या अन्य कोई

विवाद निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता व वारिसान क्रेता को हक

--6पर

क्रम सं० 16219 दिनांक 13/12/2000

मूल्य [illegible]

पता

द्वारा [illegible]

एस० एच० आभा स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

लं० नं० 22

1000Rs.

हासिल होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य सहित हर्जा व खर्चा के हमसे या हमारे वारिसान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें, कोई मुकाम उज्र का न होगा । क्रेता इस बैनामें के आधार पर विक्रयशुदा जायदाद का दाखिल-खारिज अपने नाम करा लेवें, कोई मुकाम उज्र का न होगा ।

आराजी मुबहया कृषि भूमि है जिस पर वर्ष 1383 फसली के पूर्व से लगातार आज तक खेती होती चली आ रही है और कृषि

--7पर

क्रम सं० 26440 दिनांक 13.12.2010

मूल्य 1000 नाम [illegible]

पता [illegible]

द्वारा

एस० एच० आगा स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

ला० नं० 22

कार्य हेतु ही विक्रय की जा रही है आराजी मुबइया पर कोई पेड़,कुंआ,

तालाब,ट्यूबवेल,बोरिंग व निर्माण आदि नही है । आराजी मुबइया राज

मार्ग,राष्ट्रीय मार्ग,जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर नही स्थित है आराजी

मुबइया लखनऊ विकास प्राधिकरण व उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की

किसी योजना में अधिगृहीत नही है । आराजी मुबइया के भूमि की बाजारी

मालियत 2,00,000=00रू0 प्रति बीघा की दर से मालियत मुबलिग-

73,500=00रू0 होती है जिस पर नियमानुसार 7400=00रूपया का जमरल

--8पर

क्रम सं० 2621 दिनांक 13.12.

[illegible] राम [illegible]

पता

द्वारा

एस० एम० आगा स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

ला० नं० 22

100Rs.

(4)

स्टाम्प अदा किया गया है ।

हमने इस बैनामें को शामिल करते हुए 5,00,000/=

रुपया मालियत के बैनामा नही किए हैं ।

उक्त विक्रयशुदा जायदाद का पूर्व में कोई इकरार-

नामा क्य पंजीकृत नहीं किया गया है ।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

नही हैं ।

--शेष

क्रम सं० 26212 दिनांक 13/12/2000

मूल्य 100 नाम श्याम ...

पता ...

द्वारा ...

एल० एन० आर्या स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट ...

लं० नं० 22

100Rs.

अत: यह बैनामा कतई बहक खरीदार उपरोक्त

श्री रामफल पुत्र स्व० देवतादीन के तहरीर कर दिया ताकि सनदरहे

और समय पर काम आवें ।

-- 10पर

क्रम सं० 26213 दिनांक 13/12/2010

[illegible]

पता

द्वारा

[illegible] आगरा स्टाम्प वेन्डर [illegible]

[illegible] 22

100 RS. 381

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

: विवरण जायदाद विक्रीत :

कृषि भूमि खसरा सं0- 30सं0 व 30सं0 कुल रकबा 0·178 हे0 का 1/2 भाग यानी रकबा 0·089 हे0 स्थित ग्राम देवामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है :-

--।।पर

[illegible] 13/12/[illegible]

[illegible] दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible] 22

50 Rs. 38)

पचास रुपये

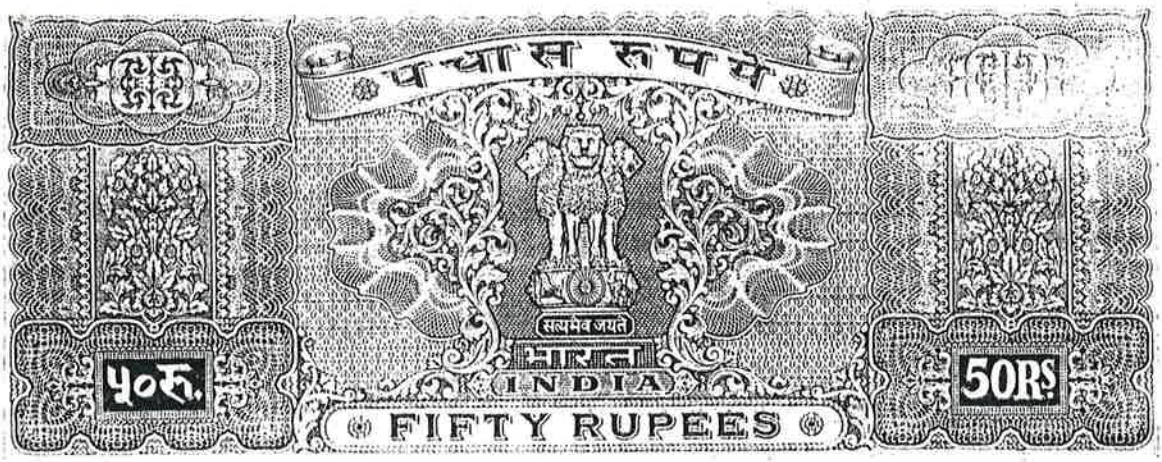

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु.

50RS

FIFTY RUPEES

8118

पूरब- खेत अंगद ।

पश्चिम- खेत पप्पू ।

उत्तर- खेत गरीबे ।

दक्षिण - खेत डण्डी ।

--12पर

क्रम सं० 26211 दिनांक 13/12/2000

मूल्य 54/- नाम [illegible]

पता [illegible]

द्वारा [illegible]

एस० एन० आर्य स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

ल० नं० 22

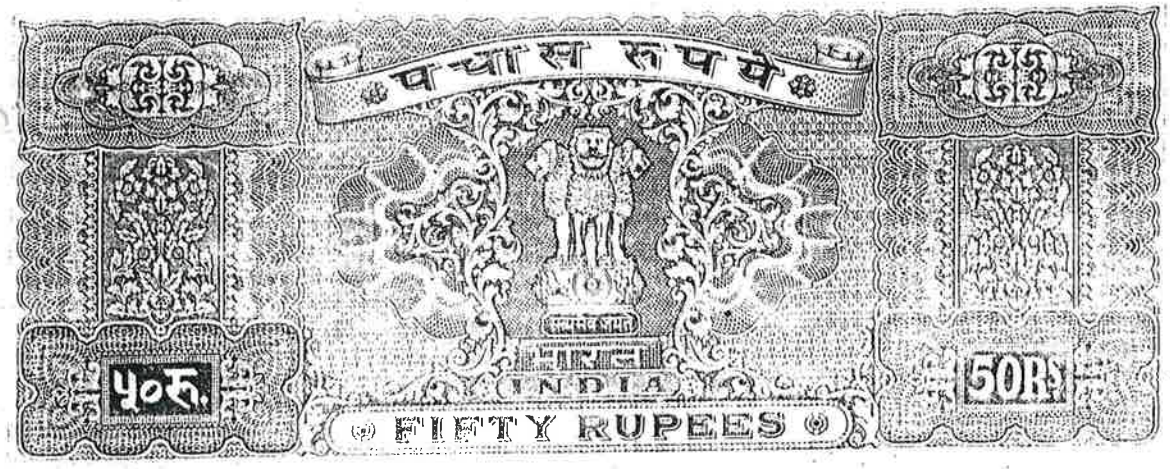

{12}

: तफसील वसूलयाबी जरसमन :

कब्ल तहरीर बैनामा क्रेता से कुल विक्रय मूल्य मु0- 22,000=00रू0 नगद वसूल पा लिया है अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा ।

लखनऊ ।

दिनांक :- 13-12-2000ई0 ।

ह0 विक्रेतागण,

गवाहान

1 :

पता-

2 :

पता-

मसविदाकर्ता

{राकेश सचान}एडवोकेट}

(S. K. Gupta)
Typist
Licence No. 3
टाइपकर्ता, Lucknow

क्र० सं० 26535 दिनांक 13/11/2000

मूल्य 5/-

पता

द्वारा

एस० एच० आगा स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कोर्ट
लं० नं० 22

03/2/2001

I

363/386

951/2001

छाया प्रति प्रमाणित

उप निबंधक (पंचम)
लखनऊ
24/8/22